न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां, R.T.S.
मिसल नं. ::: 385/2021

सरकार बनाम मोतीलाल पुत्र मालाराम, जाति–रावणा राजपूत, निवासी–पिलानी

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 22.12.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल मोतीलाल पुत्र मालाराम, जाति–रावणां राजपूत, निवासी– पिलानी द्वारा रोही मौजा पिलानी की राजकीय भूमि ख.नं. 289 कुल रकबा 6.06 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.03 है0 भूमि पर फैंसिंग/तारबड़ बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से एडवोकेट हजारीलाल सूनियां ने अभिभाषक पत्र पेश किया तथा जवाब हेतु अवसर चाहा, जो दिया गया। लेकिन आगामी पेशी पर गैर सायल अथवा उसका अभिभाषक बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अतः गैर सायल के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 9 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 44
वर्ष 2021-22 में रुपये 9/– कायम
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनिया)
तहसीलदार, सूरजगढ़